Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **ए.सी.बी. द्वारा पुलिस थाना शिवाजीपार्क, अलवर शहर में अपने ही शिकायतकर्ता के विरूद्ध धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराया**
- **होमगार्ड आरक्षक द्वारा 30 हजार रुपये रिश्वत मांगने की झूठी शिकायत दी गई थी**

जयपुर, *30 अगस्त, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. की अलवर–प्रथम इकाई द्वारा **दिनांक 29–8–2024** को ट्रेप कार्यवाही करते हुये **सहजुदीन होमगार्ड आरक्षक कार्यालय जिला कमाण्डेंट, होमगार्ड अलवर** को परिवादी से **30 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांगने के आरोप पर पकड़ा था। उक्त मामले में ए.सी.बी. द्वारा **मामला झूठा पाया जाने पर** अपने शिकायतकर्ता के विरूद्ध **पुलिस थाना शिवाजी पार्क, अलवर शहर** में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि दिनांक 22.08.2024 को परिवादी श्री महबूब अली द्वारा एसीबी अलवर प्रथम कार्यालय में स्वयं का हस्तलिखित एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें रिश्वत मांग पर कार्रवाई करने का उल्लेख था। उक्त शिकायत पर नियमानुसार कार्यवाही की जाकर, **दिनांक 29.08.2024** को **श्री सहजूदीन होमगार्ड** के विरुद्ध ट्रेप कार्यवाही की गई। ट्रेप कार्रवाई के दौरान रिश्वत राशि के आदान–प्रदान के क्रम में डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में करवाई गई रिकॉर्डिंग सुनने के पश्चात रिकॉर्डिंग में विरोधाभाषी एवं संदिग्ध तथ्य पाये जाने पर ए.सी.बी. टीम द्वारा विस्तृत जांच की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि **महबूब अली, मकसूर और कपिल** ने मिलकर सहजुद्दीन खान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। उन्होंने कपिल को सहजूदीन के रूप में प्रस्तुत कर ए.सी.बी. में फर्जी रिश्वत मांग सत्यापन करवाया। महबूब अली, मकसूर और कपिल ने षडयंत्र पूर्वक होमगार्ड में भर्ती करवाने के नाम पर रिश्वत की मांग का रिकॉर्ड वार्तालाप करवाया और बाद में 450 वर्गगज के तीन प्लॉट के बदले 30,000 रुपये की राशि सहजूदीन को देने की योजना बनाई। उक्त तीनों द्वारा **तथ्यों को छुपाते हुए, षड्यंत्र कर ट्रेप कार्यवाही करवाने** के इस मामले में, ए.सी.बी के अलवर–प्रथम इकाई के **ट्रेप अधिकारी उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** द्वारा पुलिस थाना शिवाजी पार्क में आरोपियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, (बी.एन.एस.) 2023 व सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अन्तर्गत धोखाधड़ी एवं कूटकरण का मामला दर्ज कराया गया है। थाना शिवाजी पार्क, अलवर शहर द्वारा मामले में आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।**